प्रेषक,

निदेशक,
मनोविज्ञानशाला, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

सेवा में,

समस्त केन्द्र व्यवस्थापक,
(राष्टीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना तथा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज राज्य स्तरीय परीक्षा 2012)

एवं

प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या

.............................................................

.............................................................

पत्रांक :/एन0एम0एम0एस0/एन0टी0एस0/ 993–1279/2011–12 दिनांक 11 8/ 2011

विषय– राष्टीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना तथा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज राज्य स्तरीय, परीक्षा 2012 के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

आप अवगत है कि पूर्व वर्षो की भांति सत्र 2011–12 में राष्ट्रीय प्रतिभा खोज राज्य स्तरीय परीक्षा तथा राष्टीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा एक साथ आयोजित हो रही है। इस सम्बन्ध में, इस परीक्षा हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 25.07.11 को इलाहाबाद में आयोजित की गई जिसमें उक्त योजना के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की गई तथा उक्त दोनों परीक्षाओं हेतु आपके विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया गया।

ध्यातव्य है कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज राज्य स्तरीय परीक्षा तथा राष्टीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा के आवेदन पत्र अलग–अलग होगें तथा दोनों परीक्षाओं हेतु अर्हता की शर्ते अलग–अलग हैं।

**राष्ट्रीय प्रतिभा खोज राज्य स्तरीय परीक्षा हेतु ऐसे सभी छात्र–छात्रायें अर्ह होगें –**

जो किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 8 में अध्ययनरत हों। इस परीक्षा में राज्य से **555** छात्र–छात्राओं का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाना है जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 प्रतिशत का आरक्षण निर्धारित है। 3 प्रतिशत आरक्षण शारीरिक रुप से चुनौतीग्रस्त समूह (1 प्रतिशत दृष्टिदोष

(अन्धता एवं अल्प दृष्टि), 1 प्रतिशत श्रवणदोष तथा 1 प्रतिशत शारीरिक दोष) के लिए निर्धारित है। लेकिन यह अभ्यर्थी जिस जाति विशेष के होगें, उसी जाति में इनकों आरक्षण का लाभ मिलेगा।

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज राज्य स्तरीय परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सामान्य जाति के अभ्यर्थियों के लिए रु **50.00 (रु पचास)** व अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों के लिए रु 30.00 (रु तीस) परीक्षा शुल्क निर्धारित किया गया है जिसे वे ड्राफ्ट के रुप में **रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षायें, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद** के नाम से बनवाकर आवेदन पत्र के साथ लगायेगें। बिना ड्राफ्ट के आवेदनपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में राष्ट्रीय स्तर पर 1000 छात्रवृत्ति उन छात्र/छात्राओं को दी जायेगी, जो इससे सम्बन्धित दो स्तर की परीक्षा में चयनित होते हैं। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा द्विस्तरीय है जिसका विवरण निम्नवत है:-

प्रथम स्तर पर ( राज्य स्तरीय ) प्रदेश सरकार द्वारा राज्य स्तरीय प्रथम चयन परीक्षा सम्पादित होती है।

द्वितीय स्तर पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली द्वारा परीक्षा आयोजित होती है जिसमें प्रथम स्तर पर राज्य हेतु निर्धारित कोटे की संख्या में चयनित छात्र-छात्राए प्रतिभाग करते हैं।

उपर्युक्त दोनो स्तर की परीक्षोपरान्त 1000 छात्र/छात्राओं का राष्ट्रीय स्तर पर अन्तिम चयन होता है जो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति हेतु अर्ह होते है। इस परीक्षा में अन्तिम रूप से चयनित होने पर रू0 500/- प्रतिमाह प्रति छात्र की दर से छात्रवृत्ति आगे की सभी कक्षाओं में छात्र/छात्राओं को दी जायेगी। पी0एच0डी0 करने वाले छात्र/छात्राओं को यू0जी0सी0 के मानक के अनुसार छात्रवृत्ति दी जायेगी।

**राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा के लिए वे ही अभ्यर्थी आवेदनपत्र भर सकेगें जो निम्नलिखित अर्हतायें रखते हो –**

- शैक्षिक सत्र 2010-11 में जिन्होंने न्यूनतम 55% अंक के साथ कक्षा 7 की परीक्षा उत्तीर्ण की हों ।

- ऐसे छात्र/छात्रायें शैक्षिक सत्र 2011--12 में राजकीय विद्यालय, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय तथा स्थानीय निकायों के विद्यालयों में कक्षा 8 में अध्ययनरत हों।
- ऐसे छात्र/छात्राओं के अभिभावकों की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 1,50,000( एक लाख पचास हजार ) से अधिक न हो।

केन्द्र व्यवस्थापक का यह उत्तरदायित्व होगा कि उक्त तीनों शर्तो की जॉच करके ही आवेदनपत्र स्वीकार करे। यदि इसके विपरीत कोई स्थिति पायी जाती है तो उसकी जिम्मेदारी केन्द्र व्यवस्थापक की होगी।

छात्रवृत्ति मेरिट के आधार पर छात्र/छात्राओं को दी जायेगी। उत्तर प्रदेश हेतु भारत सरकार द्वारा कुल **15143** का कोटा निर्धारित किया गया है जिसका जिलेवार निर्धारण किया गया है। आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार देय होगा। मेरिट सूची के आधार पर चयनित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति के रुप में रु 500/– प्रतिमाह की दर से 6000/–रु0 वार्षिक छात्रवृत्ति प्रस्तावित है। छात्रवृत्ति के लिए चयनित छात्र/छात्राओं को यह छात्रवृत्ति कक्षा 9 से 12 तक मिलेगी, जो शासन/विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत होगी। शैक्षिक सत्र के व्यवधान होने पर यह छात्रवृत्ति समाप्त हो जायेगी जिसका नवीनीकरण नहीं होगा।

राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों से कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जायेगा।

दोनों छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 25 सितम्बर, 2011 निर्धारित की गई है। परीक्षा दिनांक 20.11.2011 को जनपद स्तर पर प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक ( शारीरिक रुप से चुनौतीग्रस्त छात्र/छात्राओं के लिए प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक) निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी। परीक्षा केन्द्र की सूची तथा कोड संख्या का विवरण आवेदन पत्र के अन्तिम पृष्ठ पर मुद्रित है।

वर्ष 2011–12 में राष्ट्रीय प्रतिभा खोज राज्य स्तरीय परीक्षा तथा राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा एक साथ, एक ही तिथि एवं एक ही समय पर आयोजित होगी तथा दोनों परीक्षा हेतु प्रश्नपत्र भी एक ही होगें, लेकिन दोनों परीक्षाओं हेतु आवेदन पत्र अलग--अलग भरें जायेगें।

इन परीक्षाओं के सम्बन्ध में आपसे अपेक्षा है कि प्रार्थना सभाओं, नोटिस बोर्डों, अभिभावकों, समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं, अन्य समाचार माध्यमों से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये।

उक्त दोनों परीक्षाओं के आवेदन पत्र का संगत प्रारूप उ0प्र0 के सभी परीक्षा केन्द्रों सहित मण्डल/जनपद के कार्यालयों– मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सहायक शिक्षा निदेशक ( बेसिक), जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा मण्डलीय मनोविज्ञान केन्द्र, आयुक्त केन्द्रीय विद्यालय संगठन, इन्सपेक्टर एग्लों स्कूल आदि कार्यालयों में भी उपलब्ध करा दिया गया है। अभ्यर्थी इस प्रारुप को अपनी सुविधानुसार इसकी छायाप्रति/टंकित/मुद्रित/चकमुद्रित कराकर आवेदन कर सकते हैं, जो आप द्वारा स्वीकार किये जायेगें। अभ्यर्थियों द्वारा समुचित रूप से भरे हुए आवेदन पत्र प्राप्तकर आप द्वारा ही दोनों परीक्षाओं के लिए अलग–अलग अनुकमांक आवंटित किया जायेगा। यह कुल 12 डिजिट का होगा, जो निम्नवत आवंटित किया जायेगा।

## राष्ट्रीय प्रतिभा खोज राज्य स्तरीय परीक्षा हेतु अनुकमांक का आवंटन –

1– प्रथम डिजिट – कक्षा हेतु कोड 1 (यह मुद्रित है)
2– इससे आगे दो डिजिट – राज्य हेतु कोड 31 (यह मुद्रित है)
3– इससे आगे दो डिजिट – चयन वर्ष का कोड 12 (यह मुद्रित है)
4– इससे आगे चार डिजिट – केन्द्र कोड ( 0001.......देखें आवेदन पत्र का अन्तिम पृष्ठ)
5– अन्तिम तीन डिजिट – कमांक ( 001........500.........999 तक )

उदाहरण के लिए इस वर्ष (2012) के वाराणसी जनपद के प्रथम अभ्यर्थी को जनपद के लिए आवंटित प्रथम केन्द्र कोड 0029 तथा कमांक 001 होगा। इस प्रकार यह अनुकमांक **131120029001** होगा। वाराणसी जनपद के द्वितीय केन्द्र के प्रथम अभ्यर्थी हेतु अनुकमांक **131120030001** होगा।

## राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा हेतु अनुकमांक का आवंटन –

1– प्रथम डिजिट – कक्षा हेतु कोड 3 (यह मुद्रित है)

2– इससे आगे दो डिजिट – राज्य हेतु कोड 31 (यह मुद्रित है)

3– इससे आगे दो डिजिट – चयन वर्ष का कोड 12 (यह मुद्रित है)

4– इससे आगे चार डिजिट – केन्द्र कोड ( 0001.......देखें आवेदन पत्र का अन्तिम पृष्ठ)

5– अन्तिम तीन डिजिट – कमांक ( 001........500.........999 तक )

उदाहरण के लिए इस वर्ष (2012) के वाराणसी जनपद के प्रथम अभ्यर्थी को जनपद के लिए आवंटित प्रथम केन्द्र कोड 0029 तथा कमांक 001 होगा। इस प्रकार यह अनुक्रमांक **331120029001** होगा। वाराणसी जनपद के द्वितीय केन्द्र के प्रथम अभ्यर्थी हेतु अनुक्रमांक **331120030001** होगा।

नोटः–

(1) केन्द्र व्यवस्थापक के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र में केन्द्र कोड और कम संख्या लिखते समय यह ध्यान रखना होगा कि दोनों (केन्द्र कोड और कम संख्या) स्पष्ट रूप से साफ–साफ लिखा जाय तथा यदि कही कटिंग होती है तो उसके उपर/नीचे स्पष्ट रूप से लिखा जाय और जिस व्यक्ति द्वारा कटिंग किया जाय उसके द्वारा वहीं पर अपना स्पष्ट नाम लिखकर हस्ताक्षर किया जाय।

(2) जिन जनपदों में 999 से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते रहें है उनके लिए एक से अधिक केन्द्र कोड संख्या निर्धारित हैं अतः आवश्यकतानुसार पृथक केन्द्रों के लिए कमांक आवंटित किया जाय। अतएव इस व्यवस्था के अनुसार यह सुनिश्चित करें कि यदि आपके केन्द्र पर पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या 999 तक है तो अपने जिले के लिए निर्धारित परीक्षा केन्द्र का कोड और उसके अनुसार अनुकमांक (001..........500.........999) दें। लेकिन यदि आपके केन्द्र पर अभ्यर्थियों की संख्या 999 से अधिक है तो इससे आगे अपने जिले के लिए निर्धारित दूसरे परीक्षा केन्द्र का कोड और अनुकमांक (001..........500.........999) अंकित करें। इसी प्रकार इस केन्द्र हेतु भी अभ्यर्थियों की संख्या 999 हो जाने पर अपने जिले के लिए निर्धारित तीसरे परीक्षा केन्द्र का कोड और अनुकमांक (001..........500.........999) अंकित करें। इसी प्रकार इससे भी अधिक संख्या होने पर अगला निर्धारित परीक्षा केन्द्र का कोड और अनुकमांक आवंटित करें। यदि आपके जिले के लिए परीक्षा केन्द कोड की कमी है अर्थात आप के जिले के लिए

निर्धारित सभी परीक्षा केन्द्र कोड में अभ्यर्थियों की आवश्यक संख्या पूरी हो चुकी है अथवा आप के जिले के लिए एक ही परीक्षा केन्द्र कोड आवेदनपत्र में दिया गया है और अभ्यर्थियों की संख्या 999 से अधिक है तो इसके लिए निदेशक मनोविज्ञानशाला, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से दूरभाष सं0 0532–2256511 द्वारा केन्द्र कोड प्राप्त किया जायेगा। आप स्वयं अपने स्तर से कोई नया केन्द्र कोड, जो आवेदन पृष्ठ के अन्तिम पृष्ठ पर लिखा है, उसके अलावा नहीं एलाट करेगें। ऐसे जनपदों में सूची में उल्लिखित राजकीय /सहायता प्राप्त, इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक के अनुमोदनोपरान्त आवश्यकतानुसार अतिरिक्त केन्द्रों का निर्धारण कर प्रवेश पत्र पर केन्द्र कोड संख्या तथा छात्र कमांक उल्लिखित करेंगे।

(3) राष्ट्रीय प्रतिभा खोज राज्य स्तरीय परीक्षा तथा राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा हेतु दो प्रश्नपत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य मानसिक योग्यता का तथा द्वितीय प्रश्नपत्र शैक्षिक अभिरूचि का होगा ( जिसमें विज्ञान के 35, सामाजिक विज्ञान के 35 एवं गणित के 20 प्रश्न अर्थात कुल 90 प्रश्न एवं सामान्य मानसिक योग्यता के 90 प्रश्न होगें)। दोनों प्रश्न पत्रों में अलग–अलग सामान्य श्रेणी हेतु न्यूनतम अर्हता अंक 40 प्रतिशत, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति तथा शारीरिक रुप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थियों के लिए 32 प्रतिशत अंक पाना अनिवार्य है।

(4) केन्द्र व्यवस्थापक अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र जमा करते समय यह देख लें कि क्या छात्र/छात्रा ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के खाने में कास का चिन्ह लगाया है अथवा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/ शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त के किसी खाने में कास का चिन्ह लगाया है। यदि वह लगाया है तो क्या वह संबंधित क्षेत्र का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र/प्रमाण की प्रमाणित फोटोप्रति लगाया है। यदि वह संबंधित आरक्षण प्रमाणपत्र नहीं लगाया है तो उसका आवेदन पत्र कदापि न जमा करें। यदि आप द्वारा बिना आरक्षण प्रमाण पत्र के आवेदन पत्र जमा कर लिया जाता है तो उसे परीक्षा में सामान्य अभ्यर्थी के रूप में माना जायेगा । इसी प्रकार राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति के अभ्यर्थियों का आय प्रमाणपत्र और अन्य दोनों शर्तों के पूर्ण होने पर ही

आवेदन पत्र जमा करें। बिना आय प्रमाणपत्र के अथवा अन्य शर्त पूरा न होने की दशा में उनका अभ्यर्थना निरस्त कर दिया जायेगा। ऐसी दशा में यदि अभ्यर्थी की तरफ से कोई विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके लिए संबंधित केन्द्र व्यवस्थापक जिम्मेदार होगे।

(5) शारीरिक रुप से चुनौतीग्रस्त होने का लाभ उन अभ्यर्थियों को दिया जायेगा जो दृष्टिदोष(अन्धता एवं अल्प दृष्टि)/ श्रवणदोष/ शारीरिक दोष के क्षेत्र में 40 प्रतिशत या उससे अधिक अक्षम होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से निर्धारित फार्म पर पी0एच0 प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। पी0एच0 प्रमाण पत्र 3 विशेषज्ञ डाक्टरों, जिसमें एक डाक्टर सम्बन्धित अक्षमता क्षेत्र का होगा, के पैनेल द्वारा प्राप्त होना चाहिए। यह प्रमाण पत्र सम्बन्धित जिले के सी0एम0ओ0 द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए।

(6) तहसीलदार द्वारा निर्गत आय एवं जाति प्रमाणपत्र ही मान्य होगें।

(7) तीनों प्रकार के चुनौतीग्रस्त ( दृष्टिदोष(अन्धता एवं अल्प दृष्टि), श्रवणदोष और शारीरिक दोष) अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट अतिरिक्त समय दिया जायेगा। चूंकि इस परीक्षा में डेढ--डेढ घंटे की दो परीक्षायें होनी है , अतः प्रत्येक परीक्षा के लिए आधा--आधा घंटा (कुल 1 घंटा) अतिरिक्त समय दिया जायेगा।

(8) इस तरह के अभ्यर्थियों को अलग से भूतल पर बैठने की समुचित सुविधा दिया जाना है।

(9) दृष्टिबाधित(अन्धता एवं अल्प दृष्टि) बच्चे जिनकी दृष्टिक्षमता कम हो, उन्हें आकारवर्द्धक यन्त्र एवं अन्य सहायता प्रदान करने वाले उपकरण जैसे अबैकस, ब्रेलस्लेट, टेलरफ्रेम लिखने वाले तथा पढने वाले आदि का प्रयोग करने की अनुमति दी जा सकती है।

(10) आवेदन पत्र के दूसरे पन्ने पर अभ्यर्थियों के लिए प्रवेशपत्र तथा नियम निर्देश हैं। इसमें अनुक्रमांक सहित आवश्यक प्रविष्टियों की पूर्ति कराकर इस पन्ने को आवेदन पत्र से अलग करके अभ्यर्थी को दे दें तथा आवेदन पत्र अपने पास रख लें।

दोनों परीक्षा हेतु आवेदन पत्र स्वीकार करने की **अंतिम तिथि 25.09.2011** रखी गयी है इसमें वृद्धि किसी भी दशा में न की जाय। आप अपने केन्द्र पर दोनों परीक्षाओं का अलग--अलग, कुल पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या शारीरिक रुप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थियों

सहित (शारीरिक रुप से चुनौतीग्रस्त के अन्तर्गत कितने अभ्यर्थी दृष्टिदोष (अन्धता एवं अल्प दृष्टि) से ग्रस्त है कितने अभ्यर्थी श्रवणदोष से ग्रस्त है तथा कितने अभ्यर्थी शारीरिक दोष से ग्रस्त है, की सूचना अलग– अलग देना अनिवार्य है) **दिनांक 10.10.2011** तक दूरभाष द्वारा/वाहक द्वारा/पत्र द्वारा सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी,इलाहाबाद को भेजना सुनिश्चित करें तथा उसकी एक प्रति निदेशक, मनोविज्ञानशाला, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भी प्रेषित करें। पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या समय से न मिलने पर सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, इलाहाबाद को भारी कठिनाइयों का सामना करना पडता है अतः यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उक्त सूचना समयान्तर्गत अवश्य उपलब्ध करा दी जाय। **सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, राज्य शिक्षा संस्थान कैम्पस, एलनगंज इलाहाबाद का दूरभाष न0 0532–2466769 तथा निदेशक,मनोविज्ञानशाला, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद का दूरभाष न0 0532–2256511** है।

दोनों परीक्षाओं के आयोजन सम्बन्धी समस्त निर्देश, प्रश्न पुस्तिकाए, उत्तरपत्र एवं नामावली सूची आदि पत्रजात आपको सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी,इलाहाबाद के स्तर से प्राप्त होगें। परीक्षा आयोजन से सम्बन्धित प्राप्त निर्देशों का अनुपालन करने का कष्ट करें।

**दिनांक 20.11.2011** को दोनों परीक्षा समाप्त होने पर उत्तरपत्र, नामावली सूची व केन्द्र व्यय आदि प्रपत्र( दोनों परीक्षाओं का अलग–अलग) सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 इलाहाबाद को उनके निर्देशानुसार उपलब्ध करायेगे। प्रयुक्त एवं अप्रयुक्त दोनों ही प्रश्न पत्रों की उत्तर पुस्तिकाए सील बन्द कर सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी,इलाहाबाद के निर्देशानुसार ही प्रेषित किया जाना है। प्रयुक्त/अप्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाए रेल या डाक के द्वारा कदापि न भेजें। परीक्षा आयोजन से सम्बन्धित केन्द्र व्यय परिनिरीक्षण आदि आपको सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी,इलाहाबाद के स्तर से देय होगा।

दोनों आवेदन पत्रों के प्रारूप पर परीक्षा से सम्बन्धित समस्त निर्देश दिये गये हैं। कृपया उनसे भलीभॉति अवगत हो लें। इसके साथ दोनों आवेदन पत्र प्रारूप की प्रतियॉ आपको इस आशय से प्रेषित की जा रहीं है कि अभ्यर्थियों को छायाप्रति/टंकित प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आशा है कि दोनों परीक्षाओं हेतु आप अपने केन्द्र पर अपने जनपद से अधिकाधिक अर्ह छात्र/छात्राओं को इस परीक्षा में सम्मिलित कराने हेतु अपने स्तर से प्रयास करेगें। उन्हे आवेदन पत्र प्रारूप की सुविधा उपलब्ध कराकर उनकी प्रतिभागिता सुनिश्चित करेंगे तथा अपने केन्द्र पर निर्देशानुसार परीक्षा का सफल संचालन करायेगें। प्रकरण को सर्वोच्च वरीयता देकर कार्यवाही सम्पन्न कराने का कष्ट करें।

संलग्नक – आवेदन पत्र प्रारूप की प्रतियॉ।
(दोनों परीक्षाओं हेतु अलग–अलग)

भवदीय

डा0(श्रीमती एस0सिंह )
निदेशक,
मनोविज्ञानशाला,उ0प्र0,
इलाहाबाद।

पृ0सं0/एन0एम0एम0एस0/एन0टी0एस0/1193-1279/2011–12 तद् दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वैयक्तिक सहायक, निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2– वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (मा0), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड लखनऊ।
3– वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0, निशातगंज, लखनऊ।
4– अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक/पत्राचार/बेसिक, उ0प्र0,इलाहाबाद।
5– संयुक्त शिक्षा निदेशक (प्रशि0), कार्यालय राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6– संयुक्त शिक्षा निदेशक (अर्थ0) शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
7– समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 ।
8– सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0,इलाहाबाद।
9– समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0।
10– समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।
11– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
12– समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
13– समस्त मण्डलीय मनोवैज्ञानिक, मण्डलीय मनोविज्ञान केन्द्र, उ0प्र0।
14– स्कूल काउन्सलर/स्कूल मनोवैज्ञानिक, लखनऊ, आगरा, वाराणसी एवं गोरखपुर।
15– सहायक आयुक्त केन्द्रीय विद्यालय संगठन,सेक्टर जे, अलीगंज लखनऊ।
16– इंसपेक्टर, एग्लो इण्डियन स्कूल शिक्षा भवन, जगत नारायण रोड, लखनऊ।
17– समस्त ईकाई अध्यक्ष, एस0सी0ई0आर0टी0,उ0प्र0।
18– प्रभारी, एन.टी.एस., प्रकोष्ठ, मनोविज्ञानशाला, उ0प्र0, इलाहाबाद।
19– नोडल अधिकारी, एन.एम.एम.एस., मनोविज्ञानशाला, उ0प्र0, इलाहाबाद।

डा0(श्रीमती एस0सिंह)
निदेशक,
मनोविज्ञानशाला,उ0प्र0,
इलाहाबाद।